

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 601]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 28, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर
सागर, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

क्र. 81-व.लि.-1-2014.—नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 15 दिसम्बर 2014 में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, मकरोनिया बुजुर्ग को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया है. नवीन अधिसूचित नगरपालिका परिषद् में वार्डों की संख्या अवधारित करने हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगरपालिका का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगरपालिका परिषद्, मकरोनिया बुजुर्ग, सागर	18

अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर.